न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 89 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.गेमराराम
2.चूनाराम
3.शोभाराम
4.दलाराम पुत्र भगाराम
5.श्रीमती पांची पत्नी भगाराम
6.राजाराम
7.चुतराराम
8.सगताराम पुत्र स्व0 भोपालाराम
9.श्रीमती पार्वती पत्नी स्व0 भोपालाराम
10.द्वारकाराम
11.कूम्पाराम
12.परागाराम पुत्र स्व0 जसवन्ताराम
13.श्रीमती चांदी पत्नी स्व0 जसवन्ताराम
14.हुकमाराम पुत्र स्व0 रतनाराम
15.श्रीमती मिसरो पत्नी स्व0 रतनाराम
जातियान माली निवासीयान साजीत
तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 32/2013 बअनवान गेमराराम वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.08.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री मुरलीधर जोशी रेस्पोडेण्ट की ओर से

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 20.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 ,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम साजीत के खसरा संख्या 173 रकबा 35.12 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 23.08.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण समरी सेटलमेंट के समय से वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त रहे है जिसकी पुष्टि तत्समय के खसरा बन्दोबस्त एवं खसरा गिरदावरी से होती है। रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा भूमि का लगान अदा करान भी अभिलेखीय साक्ष्य से पुष्ट होता है। वादीगण/रेस्पोडेंटगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ एवं पिछड़े तबके से होने से बन्दोबस्त में उक्त भूमि उनके नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गई। राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी उक्त भूमि रेस्पोडेंट की पीढीयाती कृषि भूमि होना पूर्ण रूप से साबित है। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि राजकीय भूमि हो और रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त में न हो। विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी हैं जिस पर उनका कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं जो स्वयं पटवारी हल्का के कथन से भी यह साबित है। लेकिन सेटलमेंट वालो ने गलत मनमाने व बदयन्ती पूर्वक तरीके से वादग्रस्त भूमि रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी। जिसका भू–प्रबंध विभाग को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दोहराने का ही अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या उसे विलोपित करने का अधिकार नही था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट/प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का वाद के कथनों के संदर्भ में परीक्षण किया। वादीगण/रेस्पोडेंट के खेतेदानका समरी में ग्राम साजीत के खेतों के नाम एवं खसरा संख्या 10, 11, 12, 13, 14 के दर्ज रकबे से तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम साजीत से बने वर्तमान बंदोबस्त के खसरों एवं खेतों के नामों का विवरण और रकबा देखा गया। खसरा संख्या 82, 101 व 214 में तत्समय खातेदार भगवानाराम, भोपालाराम, जावताराम, रतनाराम पिता पूंजाराम कौम माली की विभिन्न कारणों यथाः पड़त एवं तनाजा के दृष्टिगत भूमि खातेदारी के काटी गई परन्तु खसरा संख्या 173 रकबा 35.12 बीघा मुताबिक निर्णय/आदेश भू–प्रबंध विभाग द्वारा तत्समय खातेदारी मे दर्ज नहीं किया जो प्रदर्श–3 से साबित होता है। तुलनात्मक रजिस्टर में लिखी तहरीर स्पष्ट है "– 172, 173, 182 इन्द्राज किये जावे सिर्फ खसरा संख्या 214 सिवायचक है, रहेगा।" शेष दावाकृत खसरों के संबंध में भी तहरीर स्पष्ट है–" 101 ही सिचायचक है दर्ज किया जाकर बकाया बदस्तूर रहे"। 82 सिवायचक है बनाया जावे बकाया 81 इन्द्राज रहे।" अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 173 के संबंध में बाद विवेचन वादीगण/रेस्पोडेंट के पक्ष में खातेदारी की घोषणा का जो निर्णय दिया है वह

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

युक्तिसंगत एवं उचित है, इसमें किसी भी प्रकार से फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/2013 बअनवान गेमराराम वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.08.2016 को यथावत रखा जाता है।

20/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner